न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या ....../2024
निर्णय दिनांक :– 28/06/24

छगनलाल पुत्र हुक्माराम जाति मोची निवासी वार्ड नं. 4 तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान लैण्ड रैवन्यू एक्ट

उपस्थित :–

(1) श्री साजिद खांन एडवोकेट वास्ते प्रार्थी।

(2) राजपैरोकार वास्ते अप्रार्थी।

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि भूमि खाता सं. 208 के ख.नं. 868/423 तादादी 3.7935 हैक्टेयर वाके रोही तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी को खातेदारी की भूमि है यही विवादित भूमि है वास्ते मुलाहिजा राजस्व रिकार्ड प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त कृषि भूमि कस्बा तारानगर की रोही में स्थित है उक्त कृषि भूमि के अन्य खातेदार पड़ोसियान के साथ हमेशा सींव बाबत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते है जिस कारण प्रार्थी अपने खेत के चारों ओर बाड़ वगैरह सही ढंग से नहीं कर सकता है ना ही अपने खेत को सुधार सकता है व उक्त कृषि भूमि में आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है प्रार्थी की कृषि भूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की पैमाईश करवाना चाहते है। प्रार्थी अपनों कृषिभूमि के चारों ओर निशान देही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहते है जिस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषिभूमि में की पैमाईश करवाकर पत्थर गढ़ी करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थी ने दिनांक 06.05.2024 को अप्रार्थी को लिखित में सीमाज्ञान का प्रार्थना–पत्र दिया व कहा कि प्रार्थी को खातेदारी कृषि भूमि की पैमाइश करवाई जाकर पत्थर गढ़ी का आदेश प्रदान करें। परन्तु अप्रार्थी आना–कानी करता रहा है तथा प्रार्थी को अप्रार्थी ने कहा कि न्यायालय से आदेश होने पर ही तुम्हारे उक्त खेत की पत्थर गढ़ी करेंगे प्रार्थी को उपरोक्त विनाय तारीख ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक अधिकार व कारण हासिल है। आदि आदि।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषिभूमि ख.नं. 868/423 तादादी 3.7935 हैक्टेयर वाके रोही तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू की कृषिभूमि का सीमाज्ञान करावार पत्थर गढी के आदेश में स्थित है उक्त कृषिभूमि की भू-राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पैमाइश करवाकर पत्थर गढी कर सीमाओं के सीमा चिन्ह कायम कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपरोकार उपस्थित। उन्होने जाहिर किया कि प्रकरण में राज्यहित प्रभवित नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुये विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खेत ख.नं. 868/423 तादादी 3.7935 हैक्टेयर वाके रोही तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू का रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी अपने खेत की सुरक्षा के लिए चारों ओर निशानदेही देकर सीमा चिन्ह करवाना चाहते है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं।

वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाकर है तथा प्रार्थी के खेत ख.नं. 868/423 तादादी 3.7935 हैक्टेयर वाके रोही तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू के सीमाचिन्ह राजस्व नक्शा के मुताबिक कायम कराने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जाता है कि वह पैमाईश में दक्ष कार्मिकों टीम गठित कर स्वयं या नायब तहसीलदार के निर्देशन में पडौसी खातेदारों को उपस्थिति का अवसर देते हुये उक्त खेत के सीमाचिन्ह कायम करावे। समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें।

उपखण्ड अधिकारी

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
तारानगर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 28/06/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
तारानगर(चूरू)